फर्द अहकाम

...य [illegible] बनाम राज० सरकार

125/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3/5/24	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 118, 131, 136 का पेश किया ~~आवेदन~~ प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया व स्वयं वकील प्रार्थी व पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित विविध प्रकरण को निस्तारित किया जाकर शामिल पत्रावली किया जाता पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील का ... पत्रावली दाखिल दफ्तर हो [signature] उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र : 125/2024
निर्णय दिनांक : 29.05.2024

1 मूलचन्द शर्मा पुत्र भंवरलाल
2 रामअवतार पुत्र भंवरलाल
समस्त जाति बारागांव ब्राहमण निवासी ग्राम भाटेड तहसील सांगानेर जिला जयपुर
प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर
अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत साबिक नक्शाट्रेस के अनुसार हाल नक्शा ट्रेस दुरूस्त किये जाने अन्तर्गत धारा 111, 128, 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की साबिक आराजी कृषि भुमि खसरा नम्बर 488 रकबा 15 बिस्वा वाके ग्राम भोटड तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित रही है। उक्त साबिक खसरा न0 488 रकबा 15 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 1281 रकबा 0. 01 है०, खसरा न0 1282 रकबा 0.03 है०, खसरा न0 1283 रकबा 0.11 है0, खसरा न0 1286 रकबा 0.01 है०, खसरा न0 1287 रकबा 0.02 है० कुल किता 5 कुल रकबा 0.18 है० वाके ग्राम भाटेड पटवार हल्का पुरुषोत्मपुरा उर्फ दादिया भू.अ.नि.क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर बने। जो कि निर्विवाद है। वादीगण की उक्त कृषि भूमि के लगवा साबिक खसरा न0 487 रकबा 2 बिस्वा यानी 0.03 है० भूमि स्थित रही है उक्त खसरा न 0 487 रकबा 2 बिस्वा के हाल खसरा न0 1284 रकबा 0.02 है०, खसरा न० 1285 रकबा 0.01 है० कुल किता 2 रकबा 0.03 है० बने। जो भी निर्विवाद है। साबिक खसरा न० 488 से बने हाल खसरा नम्बरान का नक्शाट्रेस साबिक खसरा नम्बरान के अनुसार नही बनाकर गलत रूप से साबिक खसरा नं0 487 से बने हाल खसरा नम्बर 1284 व 1285 का अंकन साबिक खसरा नम्बर 488 से बने हाल नक्शाट्रेस मे कर दिया गया तथा प्रार्थीगण के साबिक खसरा न० 488 से बने हाल खसरा न0 1286 व 1287 का अंकन साबिक खसरा न० 487 से बने हाल नक्शाट्रेस में कर दिया गया। जो कि गलत है। उक्त गलती दौराने सेटलमेन्ट भूप्रबन्ध अधिकारीयो व कर्मचारीगण द्वारा की गई है। जबकि दौराने सेटलमेन्ट भूप्रबन्ध अधिकारीयो व कर्मचारीयो को राईट ऑफ रिकार्ड मे किसी प्रकार परिवर्तन करने का कानूनन अधिकार प्राप्त नही होता है। इस कारण उन्होने अपनी अधिकारीता से बहार जाकर उक्त कार्य किया है इस कारण उक्त गलती को दुरूस्त किया जाना आवयश्क है। साबिक खसरा न0 488 के नक्शा ट्रेस के अनुसार प्रार्थीगण की मौके पर मिटटी की डोल बनी हुयी है। तथा प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है परन्तु अप्रार्थी के गलत रूप से साबिक खसरा नम्बरान 487 से बने हाल खसरा नम्बरान 1284, 1285 प्रार्थीगण के हाल नक्शाट्रेस में अंकन हो जाने के कारण पडौसी भूमि पर जबरन मिटटी की डोल को तोडकर कब्जा करना चाहते है जबकि

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

उनको ऐसा करने का कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नही है। प्रार्थीगण के साबिक खसरा न० 488 के अनुसार हाल नक्शाट्रेश न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम भाटेड तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित साबिक खसरा न0 488 से बने नक्शाट्रेस के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1281 रकबा 0.01 है०, खसरा न0 1282 रकबा 0. 03 है०, खसरा न0 1283 रकबा 0.11 है०, खसरा न0 1286 रकबा 0.01 है0, खसरा न0 1287 रकबा 0.02 है० कुल किता 5 कुल रकबा 0.18 है० का नक्शाट्रेस बनाया जावे। तथा साबिक खसरा न0 487 से बने नक्शाट्रेस के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.02 है०, खसरा न0 1285 रकबा 0.01 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.03 है० का नक्शाट्रेस बनाया जाकर हाल खसरा नम्बर 1284 व 1285 के स्थान पर हाल खसरा न0 1286 व 1287 का अंकन कर दुरूस्त करवाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गया। दौराने बहस प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वाके ग्राम भाटेड तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित साविक खसरा न0 488 से बने नक्शाट्रेस के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1281 रकबा 0.01 है०, खसरा न0 1282 रकबा 0. 03 है०, खसरा न0 1283 रकबा 0.11 है०, खसरा न0 1286 रकबा 0.01 है0, खसरा न0 1287 रकबा 0.02 है० कुल किता 5 कुल रकबा 0.18 है० का नक्शाट्रेस बनाया जावे। तथा साबिक खसरा न0 487 से बने नक्शाट्रेस के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.02 है०, खसरा न0 1285 रकबा 0.01 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.03 है० का नक्शाट्रेस बनाया जाकर हाल खसरा नम्बर 1284 व 1285 के स्थान पर हाल खसरा न0 1286 व 1287 का अंकन कर दुरूस्त करवाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थीगण की बहस एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि ग्राम भाटेड तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित साबिक खसरा न0 488 से बने नक्शाट्रेस के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1281 रकबा 0.01 है०, खसरा न0 1282 रकबा 0. 03 है०, खसरा न0 1283 रकबा 0.11 है०, खसरा न0 1286 रकबा 0.01 है0, खसरा न0 1287 रकबा 0.02 है० कुल किता 5 कुल रकबा 0.18 है० का नक्शाट्रेस बनाया जावे, तथा साबिक खसरा न0 487 से बने नक्शाट्रेस के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1284 रकबा 0.02 है०, खसरा न0 1285 रकबा 0.01 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.03 है० का नक्शाट्रेस बनाया जाकर हाल खसरा नम्बर 1284 व 1285 के स्थान पर हाल खसरा न0 1286 व 1287 का अंकन कर दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,जयपुर द्वितीय (सांगानेर),जयपुर

टैली फैक्स: 0141–2731100

ईमेल: sdo2san@gmail.com

क्रमांक/ कोर्ट/2024/3500

दिनांक 30.05.2024

तहसीलदार
तहसील सांगानेर।

विषयः–प्रार्थना पत्र संख्या 125/2024 उनवानी मूलचन्द वगै0 बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत 136 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 में दिनांक 29.05.2024 को जारी निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में निर्णित प्रार्थना पत्र संख्या 125/2024 उनवानी मूलचन्द वगै0 बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत 136 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 में दिनांक 29.05.2024 को जारी निर्णय की पालना हेतु पत्र के संलग्न जारी निर्णय की छाया प्रति भिजवाई जा रही है। अगर अन्य किसी दीगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो निर्णय की पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
जयपुर